

## प्रेस नोट

### विधानसभा निर्वाचन 2018 फोटो मतदाता पर्ची के संबंध में।

- ❖ भारत निर्वाचन आयोग ने दिनांक 26.12.2016 को फोटो मतदाता पर्ची के संबंध में नवीन निर्देश जारी कर मतदाताओं की सुविधा तथा जागरूकता के लिए महत्वपूर्ण साधन के रूप में फोटो मतदाता पर्ची के प्रभाविकता तथा मतदान के दिन मतदाताओं की पहचान स्थापित करने की उपयोगिता, सुधार हेतु आयोग ने आधिकारिक फोटो मतदाता पर्ची को बड़ा कर आकार 8"X6" इंच (ए 4 पेपर का आधा भाग) किया गया है, जिसके अनुसार पर्ची के पिछले भाग पर मतदान केन्द्र का नक्शा, बीएलओ का नाम एवं मतदाता के मार्गदर्शन हेतु महत्वपूर्ण सूचना मुद्रित की जाती है। (मतदाता पर्ची का नमूना संलग्न है।)
- ❖ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं को मतदान दिवस के दिन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मतदाता फोटो पर्ची बीएलओ के माध्यम से निर्वाचक को मतदान दिवस के 5 दिन पूर्व वितरण कार्य पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये हैं।
- ❖ बीएलओ को मतदान केन्द्र के निर्वाचकों की फोटो पर्चियों के साथ पूर्व से मुद्रित फोटो वितरण रजिस्टर दिया जाएगा, कि वे संबंधित मतदाताओं को या उनके परिवार के व्यस्क मतदाता सदस्य को ही फोटो वोटर स्लिप का प्रदाय करें एवं उनके हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान बीएलओ द्वारा उक्त मुद्रित मतदाता फोटो पर्ची वितरण रजिस्टर पर प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- ❖ रिटर्निंग आफिसर संबंधित विधानसभा क्षेत्र के द्वारा बीएलओ द्वारा फोटो वोटर स्लिप की वितरित की समय-सारणी बनाई जाकर सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों, उनके बीएलए (यदि नियुक्त किए गए हों) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों एवं उनके अभिकर्ता को उक्त समय-सारणी की प्रति उपलब्ध कराई जाएगी। वितरण कार्यक्रम के संबंध में उनके द्वारा उक्त संबंधितों से पावती प्राप्त की जावेगी। बीएलए/अभ्यर्थी के अभिकर्ता फोटो मतदाता पर्चियों के वितरण के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों के साथ जा सकेंगे और वितरण प्रक्रिया देखने के संकेत के रूप में वितरण रजिस्टर पर उनके हस्ताक्षर लिए जाएंगे।
- ❖ आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेज फोटो मतदाता पर्ची के आधार पर मतदाता मतदान के अधिकार का उपयोग कर सकेगा।
- ❖ फोटो मतदाता पर्चियों किसी अनाधिकृत वितरण/कब्जे को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा भारतीय दण्ड संहिता के सुसंगत उपबंधों का उल्लंघन माना जाएगा और कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डनीय हैं।



**ELECTION COMMISSION OF INDIA**  
**General Election to Legislative Assembly of (State/UT) - 2017**




**फोटो मतदाता पर्चा/PHOTO VOTER SLIP**

	राज्य/State	Bihar
	संसद क्षेत्र/संसदीय क्षेत्र Assembly Constituency	Bohar
	नाम Name	...
	लिंग/Gender	...
	संयोजन पत्र क्र.सं./EPIC No	WB2000076
	पिता/पति का नाम Father's/Husband's Name	...
	संपर्क संख्या/Contact No.	21
	पुस्तक/पुस्तक संख्या Polling Book/Book No.	Prabhat Vastav Book
	पुस्तक/पुस्तक संख्या Polling Book/Book No.	078
	पुस्तक/पुस्तक संख्या Polling Book/Book No.	Prabhat Vastav, Vastav, Bihar
मतदान तिथि/Date of Polling	No election scheduled currently	
पुस्तक/पुस्तक संख्या List Updated On	10/12/2016	

Date of Poll : \_\_\_\_\_  
 Timings : \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_

**DISTRICT ELECTION OFFICE:** \_\_\_\_\_ (District name)  
**DEO website:** \_\_\_\_\_ **DEO Helpline No. :** \_\_\_\_\_

**Map of the Polling station**



**Important Information for Voters**

- BLO : \_\_\_\_\_ (Name and Contact No)
  - All the voters who are in the queue at the closing time of the poll shall be allowed to cast their vote
  - There are separate queues for women; Senior citizens are given priority for voting
  - Blind and infirm voter can be permitted to take an adult companion in the voting compartment for recording the vote
  - Gadgets like mobile phones and cameras are not allowed inside the polling booth
  - Offering or accepting money or any other gratification to vote for particular candidate is a corrupt practice under law
- No Voter to be left behind. Every Vote Counts**